Prof. Khushbu kumari
Guest Teacher
Dept. of Political science
V.S.J. College, Rajnagar, Madhubani (lnmu)

Class - B.A - 2 (Honours)
Paper - III

Topic - मौलिक अधिकार (संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32)

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए नागरिकों को न्यायालय की सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और लागू करने की प्रभावशाली व्यवस्था प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 अधिकारों को लागू करवाने के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार की गारंटी देता है। यह सर्वोच्च न्यायालय को इस उद्देश्य के लिए निर्देश अथवा परमादेश जारी करने की शक्ति देता है। इस अधिकार के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश जारी किये जा सकते हैं —

(i) हेबियस कार्पस (व्यक्ति को पेश किए जाने का आदेश) — यह किसी व्यक्ति की गलत नजरबंदी या हिरासत के विरुद्ध उपचार प्रदान करता है। इसके द्वारा न्यायालय नजरबंद करने वाले अधिकारी को निर्देश देता है कि नजरबंद व्यक्ति को न्यायालय में पेश करें और उसकी नजरबंदी के कारण को स्पष्ट करे।

(ii) मैंडामस — इसके द्वारा न्यायालय किसी अधिकारी को आदेश दे सकती है कि वह ऐसी कार्यवाही करे जो उसके अधिकार क्षेत्र में हो।

(iii) मनाही — इस के द्वारा न्यायालय छोटे अधिकारी को ऐसी कार्यवाही करने की मनाही करती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में न हो।

(iv) अधिकार पृच्छा आदेश — इसके द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यवाही जिससे उसका सम्बन्ध नहीं है, करने से रोक सकती है।

(v) उत्प्रेषण/सर्टियोरारी आदेश — इसके द्वारा छोटे अधिकारी को किसी मामले को उसकी ओर हस्तांतरित करने या अन्य किसी अधिकारी के पास इसके उचित विचार के लिए सौंप जाने के आदेश दे सकती है।

कोई भी नागरिक इनमें से किसी भी आदेश की मांग के द्वारा अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त उच्च न्यायालय भी लोगों के मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए इन आदेशों (अनुच्छेद 226) को जारी कर सकती है।

संवैधानिक उपचारों के अधिकार को सभी मौलिक अधिकारों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है क्योंकि इसके बिना लोगों के पास अपने

अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए कोई साधन नहीं बचता। डॉ. अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 के महत्व पर संविधान निर्माण सभा में बोलते हुए कहा था कि, "यदि मुझसे किसी विशेष अनुच्छेद की ओर संकेत करने के लिए कहा जाए जो संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान न होने के समान हो जाएगा — मैं इसके बिना किसी दूसरे अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकूंगा।" बहुत से संवैधानिक विशेषज्ञ इसकी व्याख्या मौलिक अधिकारों के दिल और आत्मा के रूप में करते हैं।

Khushbu Kumari